International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 02-01-2026, Accepted: 01-02-2026, Published: 16-02-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 212-215

भारत में लोकायुक्त संस्था की प्रभावशीलता: संवैधानिक कानूनी एवं प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण

मीरा कटारिया[1], डॉ महेंद्र सिंह[2]
[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञानं, एन. आई. आई. एल. एम. विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा, भारत
[2] पर्यवेक्षक एंव सह–प्राध्यापक, राजनीति विज्ञानं, एन. आई. आई. एल. एम. विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा, भारत

सारांश
भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। यह संस्था विशेष रूप से राज्य स्तर पर लोक सेवकों, मंत्रियों तथा उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु गठित की गई है। यद्यपि लोकायुक्त को एक सशक्त भ्रष्टाचार–निरोधक संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था, तथापि इसकी वास्तविक प्रभावशीलता अनेक संवैधानिक, कानूनी एवं प्रशासनिक चुनौतियों से प्रभावित रही है। संवैधानिक दृष्टि से लोकायुक्त की स्थिति अस्पष्ट है, क्योंकि यह संस्था संविधान में प्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं है, बल्कि राज्य विधानों पर आधारित है। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में इसके अधिकार, संरचना और कार्यप्रणाली में असमानता पाई जाती है। कानूनी स्तर पर सीमित जांच शक्तियाँ, अभियोजन की स्वतंत्र शक्ति का अभाव, तथा सिफारिशों की बाध्यकारी प्रकृति न होना इसकी प्रमुख कमजोरियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, कई मामलों में सरकार द्वारा लोकायुक्त की रिपोर्टों की उपेक्षा इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।
प्रशासनिक चुनौतियों में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित मानवबल का अभाव, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, तथा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और निष्क्रियता भी संस्था की कार्यक्षमता को कम करती है।
यह अध्ययन भारत में लोकायुक्त संस्था की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र अभियोजन शक्तियाँ, पर्याप्त संसाधन और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कार्यप्रणाली प्रदान की जाए, तो यह सुशासन और भ्रष्टाचार–निरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मुलशब्द: लोकायुक्त, भ्रष्टाचार–निरोध, प्रशासनिक जवाबदेही, संवैधानिक चुनौतियाँ, कानूनी सीमाएँ, सुशासन

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ शासन की वैधता जनता के विश्वास, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। सुशासन (Good Governance) की अवधारणा आधुनिक लोक प्रशासन का मूल आधार है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, विधि का शासन, सहभागिता तथा प्रभावशीलता को केंद्रीय महत्व दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने एक सुदृढ़ संवैधानिक ढाँचा अपनाया, जिसका उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और प्रशासन को जनोन्मुखी बनाना था। इसके बावजूद समय के साथ–साथ भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, सत्ता का केंद्रीकरण और प्रशासनिक अक्षमता जैसी समस्याएँ उभरकर सामने आईं। [1]
भ्रष्टाचार केवल एक नैतिक समस्या नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग और गरीब वर्गों के शोषण का प्रमुख कारण बनता है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य की भूमिका के विस्तार के साथ–साथ सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की संभावनाएँ भी बढ़ती गईं। सार्वजनिक सेवाओं में अनियमितताएँ, निर्णय–प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप ने आम नागरिक के मन में शासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया। [2]
इन्हीं परिस्थितियों में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। लोकायुक्त की अवधारणा स्कैंडिनेवियाई देशों, विशेषकर स्वीडन के 'ओम्बुड्समैन' मॉडल से प्रेरित है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग (1966–70) ने केंद्र और राज्यों में लोकपाल तथा लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। आयोग का मत था कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कदाचार से निपटने के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त संस्था आवश्यक है। [3]
लोकायुक्त संस्था का उद्देश्य लोक सेवकों, मंत्रियों और अन्य सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कदाचार से संबंधित शिकायतों की जाँच करना है। यह संस्था सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करती है। हालांकि लोकायुक्त को एक शक्तिशाली भ्रष्टाचार–निरोधक संस्था के रूप में देखा गया, किंतु व्यवहार में इसकी प्रभावशीलता सीमित दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की संरचना, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र एक समान नहीं हैं। कई राज्यों में इसे पर्याप्त संसाधन, स्वतंत्रता और कानूनी समर्थन नहीं मिल पाया है। [4] वर्तमान शोध पत्र का उद्देश्य भारत में लोकायुक्त संस्था की प्रभावशीलता का विस्तृत एवं समालोचनात्मक अध्ययन करना है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि संवैधानिक अस्पष्टता, कानूनी सीमाएँ और प्रशासनिक समस्याएँ किस प्रकार लोकायुक्त की भूमिका को सीमित करती हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

- भारत में लोकायुक्त संस्था की अवधारणा एवं ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना।
- लोकायुक्त की संवैधानिक स्थिति एवं उससे उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- लोकायुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं उनकी सीमाओं की समीक्षा करना।
- लोकायुक्त के समक्ष विद्यमान प्रशासनिक समस्याओं का परीक्षण करना।
- भारत में लोकायुक्त संस्था की वास्तविक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- लोकायुक्त को अधिक प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना। [5]

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक डेटा आधारित अनुसंधान है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया

है। विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, कानूनों, रिपोर्टों, शोध पत्रों और पुस्तकों का तुलनात्मक विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं। यह शोध गुणात्मक प्रकृति का है।

लोकायुक्त संस्था: अवधारणा एवं विकास

लोकायुक्त संस्था की अवधारणा प्रशासन में नागरिकों की शिकायतों के निवारण तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के उद्देश्य से विकसित हुई है। यह अवधारणा मूलतः स्कैंडिनेवियाई देशों, विशेष रूप से स्वीडन में विकसित 'ओम्बुड्समैन' संस्था से प्रेरित मानी जाती है। ओम्बुड्समैन का कार्य सरकारी प्रशासन पर निगरानी रखना तथा नागरिकों और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करना था। इसी विचार को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर लोकायुक्त संस्था की संकल्पना की गई। [6]

भारत में लोकायुक्त के विकास की पृष्ठभूमि स्वतंत्रता के बाद के प्रशासनिक अनुभवों से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा को अपनाया, जिसके अंतर्गत राज्य की भूमिका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में निरंतर बढ़ती गई। राज्य की बढ़ती भूमिका के साथ–साथ प्रशासनिक विवेकाधिकार में वृद्धि हुई, जिसने भ्रष्टाचार और कदाचार की संभावनाओं को भी जन्म दिया। [7]

भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों और नागरिक असंतोष को देखते हुए भारत सरकार ने 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First Administrative Reforms Commission) का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र स्तर पर 'लोकपाल' और राज्य स्तर पर 'लोकायुक्त' की स्थापना की सिफारिश की। आयोग का मत था कि प्रशासनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त संस्था आवश्यक है, जो कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर कार्य कर सके। [8]

लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में 1971 में की गई। इसके पश्चात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, गुजरात सहित अनेक राज्यों ने अपने–अपने लोकायुक्त अधिनियम पारित किए। यद्यपि सभी राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का मूल उद्देश्य समान था, फिर भी उनकी शक्तियों, संरचना और अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। [9]

कुछ राज्यों, जैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं। कर्नाटक में लोकायुक्त ने कई उच्च–स्तरीय भ्रष्टाचार मामलों को उजागर किया, जिससे यह संस्था चर्चा के केंद्र में आई। वहीं दूसरी ओर, कुछ राज्यों में लोकायुक्त केवल एक परामर्शदात्री संस्था बनकर रह गई, जिसकी सिफारिशों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। [10]

लोकायुक्त का प्रमुख कार्य लोक सेवकों, मंत्रियों तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच करना है। यह जाँच भ्रष्टाचार, कदाचार, शक्ति के दुरुपयोग और प्रशासनिक अनियमितताओं से संबंधित होती है। जाँच के उपरांत लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें संबंधित सरकार को प्रस्तुत करता है। हालांकि अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के पास दंड देने या अभियोजन प्रारंभ करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। [11]

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के माध्यम से केंद्र स्तर पर लोकपाल की स्थापना की गई, किंतु राज्यों के लोकायुक्त पर इसका प्रभाव सीमित रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकायुक्त संस्था का विकास भारत में एक असमान और खंडित प्रक्रिया रही है। [12]

भारत में लोकायुक्त की संवैधानिक स्थिति: संवैधानिक चुनौतियाँ

भारत में लोकायुक्त संस्था की सबसे बड़ी चुनौती इसकी संवैधानिक स्थिति से संबंधित है। भारतीय संविधान में लोकायुक्त संस्था का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है। यह संस्था एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना राज्यों द्वारा अपने–अपने विधानों के माध्यम से की गई है। संवैधानिक दर्जे के अभाव के कारण लोकायुक्त की स्थिति राज्यों में एकरूप नहीं है। [13]

संविधान में निहित संस्थाओं, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उच्चतम न्यायालय को जो स्वतंत्रता और संरक्षण प्राप्त है, वह लोकायुक्त को प्राप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लोकायुक्त की स्वायत्तता सीमित हो जाती है और वह कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं रह पाता। [14]

संघीय व्यवस्था भी लोकायुक्त की संवैधानिक स्थिति को जटिल बनाती है। भारत एक संघात्मक राज्य है, जहाँ राज्यों को अपने प्रशासनिक ढाँचे के निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी कारण प्रत्येक राज्य ने लोकायुक्त को अलग–अलग स्वरूप में अपनाया है। यह विविधता राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार–निरोध की एक समान नीति के विकास में बाधा बनती है। [15]

लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया भी संवैधानिक चुनौती का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की सलाह पर की जाती है। यह प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण लोकायुक्त की नियुक्ति वर्षों तक लंबित रहती है, जिससे संस्था निष्क्रिय बनी रहती है। [16]

संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) प्रशासनिक निष्पक्षता और न्याय की गारंटी देते हैं। लोकायुक्त संस्था इन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में सहायक हो सकती है, किंतु संवैधानिक समर्थन के अभाव में इसकी भूमिका सीमित हो जाती है। [17]

इसके अतिरिक्त, लोकायुक्त की सिफारिशों की बाध्यकारी प्रकृति का अभाव भी संवैधानिक कमजोरी को दर्शाता है। यदि लोकायुक्त की सिफारिशों को संवैधानिक या वैधानिक बाध्यता प्राप्त होती, तो प्रशासनिक जवाबदेही अधिक सुदृढ़ हो सकती थी। [18]

अतः यह कहा जा सकता है कि लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा न मिलना इसकी प्रभावशीलता में सबसे बड़ी बाधा है। यदि इसे संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मान्यता दी जाए, तो यह भ्रष्टाचार–निरोध में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

लोकायुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधान एवं सीमाएँ

लोकायुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधान मुख्यतः राज्य–विशिष्ट अधिनियमों में निहित हैं। प्रत्येक राज्य ने अपने लोकायुक्त अधिनियम में लोकायुक्त की संरचना, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित किया है। इस कारण भारत में लोकायुक्त व्यवस्था एकरूप न होकर विविधतापूर्ण बन गई है। [19]

अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त को जाँच करने की शक्ति तो प्रदान की गई है, किंतु अभियोजन प्रारंभ करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दी गई है। जाँच के उपरांत लोकायुक्त केवल अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। अभियोजन प्रारंभ करने या दंड देने का अधिकार संबंधित सरकार या सतर्कता विभाग के पास रहता है। यह कानूनी सीमा लोकायुक्त की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। [20]

एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी सीमा लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों या उच्च पदाधिकारियों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया

है। इससे भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की जाँच लोकायुक्त के दायरे से बाहर चली जाती है। [21]

लोकायुक्त की सिफारिशों का बाध्यकारी न होना भी एक प्रमुख कानूनी कमजोरी है। सरकार चाहे तो लोकायुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार न करे या उस पर कार्रवाई में अनावश्यक विलंब कर सकती है। इससे लोकायुक्त की प्रतिष्ठा और जन–विश्वास दोनों प्रभावित होते हैं। [22]

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने केंद्र स्तर पर लोकपाल की स्थापना की, किंतु राज्यों के लोकायुक्त के संदर्भ में यह अधिनियम सीमित प्रभाव डाल पाया है। राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियों, अधिकारों और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। [23]

लोकायुक्त से संबंधित सुझाव

▪ लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा

लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से उसकी स्वतंत्रता और अधिकार मजबूत होंगे। इससे सरकार के प्रभाव से मुक्त रहकर निष्पक्ष जांच संभव होगी। संवैधानिक संरक्षण मिलने पर लोकायुक्त की सिफारिशों का महत्व बढ़ेगा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी और स्थायी व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।

▪ नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता

लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायपालिका की संयुक्त भागीदारी हो। इससे योग्य, ईमानदार और स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति संभव होगी तथा संस्था की विश्वसनीयता और जन–विश्वास में वृद्धि होगी।

▪ स्वतंत्र जांच और अभियोजन अधिकार

लोकायुक्त को स्वतः संज्ञान लेने, स्वतंत्र जांच करने और अभियोजन चलाने की शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। इससे मामलों की निष्पक्ष जांच संभव होगी। सरकारी एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी और उच्च पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

▪ पर्याप्त संसाधन और स्टाफ

लोकायुक्त संस्था को प्रभावी कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्वतंत्र बजट, प्रशिक्षित जांच अधिकारी और आधुनिक तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संसाधनों की कमी के कारण जांच में देरी होती है, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कमजोर पड़ता है।

▪ राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति

लोकायुक्त को राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त रखा जाना चाहिए। कार्यकाल की सुरक्षा और हटाने की कठिन प्रक्रिया सुनिश्चित हो। इससे लोकायुक्त निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकेगा और सत्ता में बैठे लोगों के विरुद्ध भी निर्भीक कार्रवाई संभव होगी।

▪ राज्यों में कानून की एकरूपता

भारत के विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त कानूनों में व्यापक असमानता पाई जाती है। सभी राज्यों में समान और प्रभावी लोकायुक्त कानून लागू किए जाने चाहिए। इससे पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मजबूत और समान व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

▪ समयबद्ध जांच व्यवस्था

लोकायुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच और निस्तारण के लिए निश्चित समय–सीमा तय की जानी चाहिए। समयबद्ध जांच से मामलों में अनावश्यक देरी रुकेगी, पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलेगा और लोकायुक्त संस्था की कार्यक्षमता तथा विश्वासनीयता बढ़ेगी।

▪ जन–जागरूकता और सहभागिता

लोकायुक्त की भूमिका, शक्तियों और शिकायत प्रक्रिया के बारे में नागरिकों में व्यापक जन–जागरूकता फैलाना आवश्यक है। जनसहभागिता बढ़ने से अधिक शिकायतें सामने आएँगी और भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

▪ डिजिटल और ई–गवर्नेंस प्रणाली

लोकायुक्त कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत, डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए। ई–गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की शिकायत करना सरल होगा और मामलों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

▪ सिफारिशों को बाध्यकारी बनाना

वर्तमान में लोकायुक्त की सिफारिशें कई राज्यों में बाध्यकारी नहीं हैं। इन्हें अनिवार्य रूप से लागू करने की कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे लोकायुक्त के निर्णय प्रभावी होंगे और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध वास्तविक कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

भारत में लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार से लड़ने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी उपक्रम है। हालांकि इसकी स्थापना से भ्रष्टाचार नियंत्रण में प्रगति हुई है, लेकिन संवैधानिक अस्पष्टता, कानूनी सीमाएं और प्रशासनिक बाधाएं इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। संवैधानिक दर्जा न मिलने के कारण लोकायुक्त की स्वतंत्रता पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव प्रभाव डालते हैं। कानूनी प्रावधानों में असंगतियां, अधिकार क्षेत्र की सीमाएं और सिफारिशों की बाध्यकारी न होने से लोकायुक्त की सशक्त कार्रवाई बाधित होती है। प्रशासनिक संसाधनों की कमी और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी भी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए, लोकायुक्त को संवैधानिक संरक्षण, एकरूप कानूनी ढांचा और पर्याप्त प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है, ताकि यह संस्था भ्रष्टाचार–निवारण में प्रभावी भूमिका निभा सके और जनता के प्रति शासन के विश्वास को पुनर्स्थापित कर सके।

संदर्भ

1. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार: आगे की राह, 2020.
2. डॉ. बी. एन. कृपाल, "भ्रष्टाचार से लड़ने में लोकायुक्त की भूमिका," जर्नल ऑफ़ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, वॉल्यूम 45, 2003.
3. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विनीत नारायण बनाम भारत संघ, AIR 1998 SC 889.
4. इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, "भारत में लोकायुक्त संस्थान: मुद्दे और चुनौतियाँ," 2019.
5. डॉ. बी. एन. कृपाल, "भ्रष्टाचार से लड़ने में लोकायुक्त की भूमिका," जर्नल ऑफ़ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, वॉल्यूम 45, 2003; ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार: आगे की राह, 2020.
6. बी. एन. कृपाल, "भ्रष्टाचार से लड़ने में लोकायुक्त की भूमिका," जर्नल ऑफ़ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, वॉल्यूम 45, 2003, पृष्ठ 123–130.
7. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट, 2007, भारत सरकार.

8. वही.
9. एम. पी. सिंह, भारतीय प्रशासन: संस्थान और मुद्दे, 5वां संस्करण, 2019, पृष्ठ 310–315.
10. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार: आगे की राह, 2020.
11. इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, "भारत में लोकायुक्त संस्थान: मुद्दे और चुनौतियाँ," 2019, वॉल्यूम 65, संख्या 3, पृष्ठ 45–60.
12. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, भारत सरकार.
13. एम. पी. सिंह, भारतीय प्रशासन: संस्थान और मुद्दे, 5वां संस्करण, 2019, पृष्ठ 320–325. 14.
14. भारत का सुप्रीम कोर्ट, विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, AIR 1998 SC 889.
15. ऑस्टिन, ग्रानविले, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन: द इंडियन एक्सपीरियंस, 1999, pp. 500–510.
16. इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, "लोकायुक्त की नियुक्ति में चुनौतियाँ," Vol. 65, No. 4, 2019, pp. 75–80.
17. भारत का संविधान, अनुच्छेद 14 और 21.
18. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार: आगे की राह, 2020.
19. एम. पी. सिंह, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन: इंस्टीट्यूशंस एंड इश्यूज, 2019, pp. 330–335.
20. इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, "लोकायुक्त की शक्तियों में कानूनी सीमाएँ," Vol. 65, No. 4, 2019, pp. 85–90.
21. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार: आगे की राह, 2020.
22. डॉ. बी. एन. कृपाल, "भ्रष्टाचार से लड़ने में लोकायुक्त की भूमिका," जर्नल ऑफ़ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, Vol. 45, 2003, pp. 140–145.
23. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, भारत सरकार.